न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :–स्वाति गुप्ता आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 001/2019

मुखत्यार सिंह पुत्र श्री हरदत्त सिंह जाति रायसिख निवासी चक 11 सी.डी.आर. नाईवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

– – अपीलार्थी

बनाम

1. ग्राम पंचायत नाईवाला जरिये सरपंच तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ ।
2. वजीर अली पुत्र शेख मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी सूरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. जीतो पत्नी लछमन सिंह (फौत)

   3/1. शीराबाई पुत्री लछमनसिंह जाति रायसिख निवासी टाहलीवाला तहसील व जिला फाज्लिका(पंजाब)।
4. प्रीतो पत्नी बलवीर सिंह (फौत)

   4/1. छिन्दोबाई पत्नी नाम नामालूम पुत्री बलवीर सिंह जाति रायसिख निवासी टाहलीवाला तहसील व जिला फालिका(पंजाब)।
5. सुमित्रा पत्नी सतनाम पुत्री हरदत्तसिंह जाति रायसिख निवासी चक 11 सी.डी. आर. नाईवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
6. पाशोबाई पत्नी कलवंत सिंह पुत्री हरदत्त सिंह जाति रायसिख निवासी विशनपुरा तहसील जैतसर जिला श्रीगंगानगर ।

– – रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर. एक्ट

अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी

उपस्थित अभिभाषकगण

1. **श्री बलविन्द्र थिन्द अधिवक्ता** – – अपीलार्थी
2. **श्री हितेन्द्र मोहन सारस्वत** – – रेस्पोडेण्ट संख्या 3 ता 6
3. **एकपक्षीय कार्यवाही** – – रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 2

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.07.30 12:19:40 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांक :– 15.05.2024

अपीलार्थी मुखत्यार सिंह द्वारा रेस्पोडेण्टगण के विरूद्ध यह अपील धारा 75 एल.आर. एक्ट के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है कि अपीलाधीन नामांतकरण संख्या 255 वर्ष 2003 कतई गलत अविधिक एवं दस्तावेजों का बिना

Scanned with CamScanner

अवलोकन किये पारित होने से काबिल निरस्ती है। नामांतरण की फोटो प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न अपील मीमो है।

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि चक नम्बर 11 सी.डी.आर. में ईश्वरीदेवी के नाम से 1.012 हैक्टर कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में चली आ रही थी जो मुझ अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या 3 ता 6 को ईश्वरीदेवी की मृत्यु होने पर विरासत में प्राप्त हुई थी। उक्त आराजी में मुझ अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या 3/1 व 4/1 की माता एवं प्रत्यर्थी संख्या 5 व 6 को प्रत्येक को 0.112 हैक्टर कृषि भूमि प्राप्त हुई थी। उक्त कृषि भूमि संयुक्त खाता में दर्ज चली आ रही है। मुझ अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या 3/1 व 4/1 की माता एवं प्रत्यर्थी संख्या 5 व 6 द्वारा दिनांक 20.11.2002 को अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि में से प्रत्येक द्वारा 0.101 हैक्टर कृषि भूमि का विक्रय पत्र प्रत्यर्थी संख्या 2 के पक्ष में निष्पादित किया था। इस प्रकार मुझ अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या 3/1 व 4/1 की माता एवं प्रत्यर्थी संख्या 5 व 6 द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 को कुल 0.506 हेक्टर कृषि भूमि विक्रय की गयी थी परन्तु प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा मुझ अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या 3/1 व 4/1 की माता एवं प्रत्यर्थी संख्या 5 व 6 की कुल 0.562 हैक्टर कृषि भूमि का नामातकरण तस्दीक फरमा दिया गया जो कि विधि विरुद्ध है। प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा तस्दीक फरमाये गये नामातकरण संख्या 255 वर्ष 2003 से व्यथित है। अपीलार्थी उक्त नामातकरण को निम्न आधार पर चुनौती प्रदान करता है :-

1. ग्राम पंचायत नाईवाला द्वारा अपीलाधीन नामातकरण संख्या 255 कतई गलत विधि विरूद्ध एवं दस्तावेजों का भलीभांति अध्ययन न कर पारित होने से काबिल अपास्त योग्य है।
2. अपीलार्थी एवं प्रयर्थी संख्या 3/1 व 4/1 की माता एवं प्रत्यर्थी संख्या 5 व 6 द्वारा चक नम्बर 11 सी.डी.आर. के खाता संख्या 68 की प्रत्येक द्वारा 0.101 हैक्टर कृषि भूमि का प्रत्यर्थी संख्या 2 के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित करवाया गया था। इस प्रकार अपीलार्थी व अन्य प्रत्यर्थी प्रत्यर्थी संख्या 2 को 0.506 हैक्टर कृषि भूमि का ही विक्रय कर कब्जा सौंपा गया था परन्तु प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 के पक्ष में 0.506 हैक्टर कृषि भूमि का नामातकरण तस्दीक न कर 0.562 हैक्टर कृषि भूमि का नामाकरण तस्दीक फरमाया गया है जो कि विधि विरुद्ध होने से काबिल अपास्त योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.07.30 12:19:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

3. प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु कोई नोटिस प्रदान नहीं किया। इस कारण उक्त अपीलाधीन नामातकरण संख्या 255 प्राकृतिक न्याय के सिद्धातों के विपरीत होने से काबिल अपास्त योग्य है।

अपीलार्थी दिनांक 27.12.2018 को अपने किसी कार्य से पटवारी हल्का नाईवाला के पास गया तब पटवारी महोदय द्वारा मुझ अपीलार्थी को ये बताया गया कि चक नम्बर 11 सी.डी.आर. के उक्त खाता मे आपके नाम से वर्तमान मे कोई कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है तब मुझ अपीलार्थी द्वारा पटवारी हल्का को चक नम्बर 11 सी.डी.आर. के उक्त संयुक्त खाता की कृषि भूमि में से अपने एक व हिस्सा की 0.112 हैक्टर कृषि भूमि का बेचान न कर मात्र 0.101 हैक्टर कृषि भूमि का ही बेचान करने बाबत बताया गया। तब पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी को इस आशय की जानकारी दी गयी कि आपके नाम से दर्ज 0.112 हैक्टर, कृषि भूमि का नामातकरण प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से दर्ज हो चुका है। तब मुझ अपीलार्थी को पटवारी हल्का द्वारा बतलाने पर उक्त जानकारी प्राप्त हुई तो अपीलार्थी ने टिबी न्यायालय में अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो चक नम्बर 11 सी.डी.आर. के नामातकरण संख्या 255 की तहसील कार्यालय से दिनांक 28.12.2018 को प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की तत्पश्चात दिनांक 10.01.2018 को उपमहानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक हनुमानगढ से बेयनामा की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की। अपीलार्थी उक्त अपील को बिना देरी किये माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है। अपीलार्थी मियाद अधिनियम की धारा का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रत्यर्थी संख्या 3/1 व 4/1एवं प्रत्यर्थी संख्या 5 व 6 के हित समान है। आज अनुपस्थित होने के कारण प्रत्यर्थीगण के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया है।

अपील अपीलार्थी पूर्ण कोर्टफीस पर तहरीर है व अन्दर मियाद तथा काबिल समायत अदालत हाजा के है।

लिहाजा अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर चक नम्बर 11 सी.डी.आर. के नामान्तरण संख्या 255 वर्ष 2003 को निरस्त फरमाया जावे।

उक्त तथ्यों के आधार पर अपील प्रस्तुत होने पर सरिस्ता की रिपोर्ट के बाद दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट्स 3/1, 4/1, 5 व 6 की ओर से श्री हितेन्द्र मोहन अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया रेस्पोडेण्ट्स संख्या 1 व 2 विधिवत तामील होने के पश्चात स्वयं या कोई प्लीडर हाजिर अदालत नहीं आने से रेस्पोडेण्ट्स संख्या 1 व 2 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.07.30 12:19:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रकरण में समायत बहस सुनी गई बहस पर मनन किया जाकर पत्रावली में पलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि अपील अपीलार्थी वीकार किया जाना न्यायोचित पाये जानें पर स्वीकार किया जाकर राजस्थान -राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत तहसील टिब्बी के चक नम्बर 11 सी. ी.आर के खाता संख्या 68 के दर्ज नामान्तरण संख्या 255 वर्ष 2003 को निरस्त किये ाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि बैयनामा के हिस्सा ताबिक नामान्तरण दर्ज किया जावे।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 15.5.24 को मेरे द्वारा लिखवाया खुले न्यायालय में सुनाया या।

(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.07.30 12:19:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner